कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 91 /S.W. मण्डलेश्वर, दिनांक 10/02/2024

मैं, सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 18 एवं 19 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10 (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ किसी भी न्यायाधीश की अनुपस्थिति अथवा उनके अवकाश पर रहने के कारण उनके न्यायालय का अत्यावश्यक सिविल एवं दांडिक कार्य निष्पादित किए जाने हेतु पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक 552/एक–11–1/93 दिनांक 23.12.2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट करता हूँ, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में कार्य करने वाले न्यायालय का नाम			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
9	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
10	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर
10 (अ)	अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
11	जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद	प्रथम जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	द्वितीय जिला एवं अपर अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वाह

(सुनील कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

.....

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 92 /S.W./2024 मण्डलेश्वर, दिनांक 10/02/2024

मैं, सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद की बैठके समाप्त होने तथा अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद की नवीन पदस्थाना होने के फलस्वरूप प्रशासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन में मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 अध्याय 04 के नियम 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 553/एक–11–1/93/सा.ले. दिनांक 23.12.2023 वर्ष 2024 के दीवानी एवं दांडिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन (द्वितीय संशोधन) समाविष्ट करने का आदेश देता हूं, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार			प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है
(1)	(2)	(3)			(4)
4	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मंडलेश्वर	संपूर्ण न्यायिक जिला मण्डलेश्वर प.नि.	(अ)		प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
10	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)		रिक्त न्यायालय ।
10 (अ)	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश स्थल सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल एवं आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रकरण । **टीप** – उक्त अधिनियम अंतर्गत समस्त प्रकार के प्रकरण इसी न्यायालय में प्रस्तुत/पंजीबद्ध किए जाकर विचारण/निराकरण किए जावेंगे, पंजीयन हेतु सत्र न्यायालय की ओर प्रकरणों के प्रेषण की आवश्यकता नहीं रहेगी ।
			(ब)	1	साम्पत्तिक वाद मूल्यांकन रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के मूल सांपत्तिक वाद ।
				2	लघु वाद प्रकरण 501/– रू. या इससे अधिक एवं रू. 1,000/– तक की सीमा के । भारतीय गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				3	रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के दामाशाही (इंसाल्वेंसी प्रकरण) ।
				4	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (The Arbitration and

.....2

(1)	(2)	(3)			(4)
					Conciliation Act 1996) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा 9, 14, 34 एवं 36 के अंतर्गत **एक रूपए से पचास करोड़ रूपए मूल्य तक के** आवेदन पत्र (कॉमर्शियल कोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों को छोड़कर) ।
				5	आवेदन पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आवेदन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । ।
				6	मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
				7	म.प्र. नगर पालिका अधि. 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं ।
				8	सिविल न्याय पंचायत, रीजन म.प्र. ट्राइब डेब्ट रिलिफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रिविजन ।
				9	भारतीय गार्डियन एंड वाड्र्स एक्ट, एडाप्शन एवं मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
				10	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1,00,00,001/– या इससे अधिक मूल्यांकन के प्रकरण ।
			(स)	1	हिंदू विवाह विधान 1955 भारतीय विवाह विच्छेद विधान भारतीय ट्रेड एवं भारतीय ट्रस्ट विधान के अंतर्गत पेश होने वाले प्रकरण ।
				2	आरक्षी केन्द्र **सनावद एवं बेड़िया** क्षेत्राधिकारिता से उद्भूत मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले **क्लेम प्रकरण** (क्षेत्राधिकारिता के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट के समस्त प्रावधान लागू होंगे) इन्हीं थाना क्षेत्र में घटित वाहन दुर्घटना से संबंधित First Accident Report (FAR), Detailed Accident Report (DAR) and Interim Accident Report (IAR) संबंधित आरक्षी केन्द्र के थाना प्रभारी द्वारा इसी अधिकरण में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा अधिकरण द्वारा विधि तथा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही/निराकरण किया जावेगा ।
				3	(1) व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद (2) अति. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद (3) प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद के न्यायालय से उद्भूत आपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र, नियमित दीवानी अपीले, दीवानी विविध अपीलें, एवं अन्य प्रकरण। (4) लोकल अथॉरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र, समस्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत सिविल अपील, सिविल विविध अपील, दांडिक अपील, दांडिक पुनरीक्षण एवं अन्य प्रकरण ।

सामान्य टीप :

3 (अ). जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सनावद के रिक्त श्रृंखला न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन प्रकरण, क्लेम प्रकरणों तथा भू अर्जन प्रकरण में जमा की जाने तथा आहरित की जाने वाली राशि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का

निराकरण/निष्पादन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थल सनावद द्वारा किया जावेगा।

इसी प्रकार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, के रिक्त श्रृंखला न्यायालय सनावद द्वारा घोषित निर्णय/जयपत्र से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण/विविध प्रकरण तथा वरिष्ठ न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकार के प्रकरण जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश स्थल सनावद के न्यायालय में प्रस्तुत होकर श्रवण/निराकृत किए जावेंगे।

10. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर के अवकाश या अनुपस्थिति की दशा में न्यायिक तहसील महेश्वर एवं कसरावद क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रस्तुत होने वाले ऐसे प्रतिभूति आवेदन पत्र, जो किसी अपराध में प्रथम बार प्रस्तुत होकर उनमें केस डायरी प्राप्त हो चुकी है, को प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के न्यायालय में उक्त प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वयमेव अंतरित होना माना जाकर उन्हीं के द्वारा विधिवत सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा –

सप्ताह के दिन	:	प्रभारी न्यायालय का नाम
सोमवार	:	विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा), मण्डलेश्वर
मंगलवार	:	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
बुधवार, गुरूवार	:	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर
शुक्रवार, शनिवार	:	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर

(सुनील कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

.....